हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 14 अंक : 11 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 नवम्बर, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

बिहार विधानसभा में 75 प्रतिशत आरक्षण हुआ पास

सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठों के निर्णयों की फिर अवहेलना

क्या अदालत में टिक पाएगा बिहार आरक्षण विधेयक, जानें सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की सीमा का पेंच

मंडल राजनीति की उपज माने जाने वाले दलों ने आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है। बिहार में बीते तीन दशक से भी अधिक समय से जाति और आरक्षण की राजनीति करने वाले दल ही सत्ता में हैं। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर उनके इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में एससी-एसटी और अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों की स्थिति कमजोर क्यों है?

बिहार सरकार ने जब जातियों के सर्वक्षण के आंकड़े जारी किए थे तो यही संकेत मिला था कि वह और उनके राजनीतिक सहयोगी जाति आधारित राजनीति के एजेंडे को नई धार देना चाहते हैं। इसका प्रमाण पिछले दिनों तब मिला, जब बिहार विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले विधेयक को पास किया गया। बिहार में जातिगत आरक्षण बढाने वाला विधेयक विधान परिषद से भी पारित हो गया। इससे राज्य में जातिगत आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढकर 65 प्रतिशत हो जाएगी। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पहले से ही लागू है। इस प्रकार बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा 60 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत (65 प्रतिशत + 10 प्रतिशत EWS) हो जायेगी।

ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या इस आरक्षण विधेयक से सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत वाली सीमा का क्या होगा? आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिससे 50 प्रतिशत जातिगत आरक्षण की सीमा तय की गई थी? अभी बिहार में आरक्षण को लेकर क्या हो रहा है? क्या बिहार आरक्षण विधेयक को कानूनी चुनौती मिलेगी? आइये जानते हैं....

पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है जिससे 50 प्रतिशत जातिगत आरक्षण की सीमा तय की गई थी ?

बिहार में 50 प्रतिशत से ज्यादा जातिगत आरक्षण देने वाले विधेयक से सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले की चर्चा होने लगी है। दरअसल, सर्वोच्च अदालत ने 1992 के इंदिरा साहिनी फैसले में शिक्षा और रोजगार में मिलने वाले जातिगत आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा तय की थी। हालांकि, जुलाई 2010 के एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को फीसदी की सीमा से अधिक आरक्षण देने की सशर्त अनुमति दे दी। ऐसे मामलों में अदालत ने शर्त यह रखी कि राज्य चाहें तो 50 फीसदी से अधिक जतिगत आरक्षण बढा सकते हैं जिसे उचित ठहराने लिए उन्हें वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे।

अभी किन राज्यों में लागू है 50 प्रतिशत से ज्यादा जातिगत आरक्षण ?

कई राज्य ऐसे हैं जहां 1992 के फैसले से पहले ही 50 फीसदी से अधिक जातिगत आरक्षण लागू है। इनमें तमिलनाडु है जहां एक कार्यकारी आदेश के जरिए 1989 में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया था। वहीं कुछ राज्यों में हाल के वर्षों में इस सीमा को बढाया गया है जिन्हे अदालती चुनौती का सामना करना पड़ा है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कई राज्यों ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा से अधिक वाले कानून पारित किए हैं और वे निर्णय भी न्यायालयों में चुनौती के अधीन हैं।

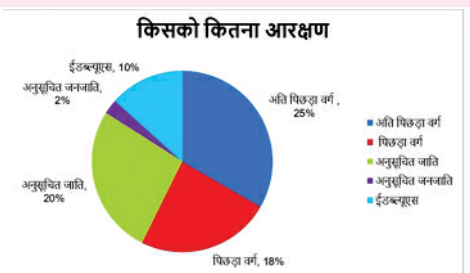

बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े

वर्ग	आबादी	हिस्सेदारी
पिछड़ा वर्ग	3,54,63,936	27.12%
अति पिछड़ा वर्ग	4,70,80,514	36.01%
अनुसूचित जाति	2,56,89,820	19.65%
अनुसूचित जनजाति	21,99,361	1.68%
सामान्य	2,02,91,679	15.52%
कुल	13,07,25,310	100%

63%

इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया। इसके तहत अनुच्छेद 15 में एक नए खंड को शामिल किया गया। जब केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली, तो उसने दलील दी कि अनुच्छेद 15 में नया खंड जोड़ने से 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लागू करने का सवाल कभी नहीं उठ सकता है जो राज्य को ईडब्ल्यूएस की बेहतरी और विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।

संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत (65 प्रतिशत + 10 प्रतिशत EWS) करने का प्रस्ताव है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मूल रूप से आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का ही प्रस्ताव है। EWS के रूप 10 प्रतिशत आरक्षण केंद्र सरकार ने पहले ही दूसरे अधिनियम से कवर है।

बिहार आरक्षण विधेयक से सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत वाली सीमा का क्या ?

बिहार में आरक्षण विधेयक के बीच महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा जारी है। दरअसल, 2018 में महाराष्ट्र विधानमंडल से मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव वाला एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया। विधानमंडल में पारित होने के बाद मराठा आरक्षण का मामला अदालत में चला गया। जून 2019 में बम्बई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन सरकार से इसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार 16 प्रतिशत से घटाकर 12 से 13 प्रतिशत करने को कहा।

इस आरक्षण को बड़ा झटका तब लगा जब मई 2021 को जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि मराठा आरक्षण 50 फीसदी सीलिंग का उल्लंघन कर दिया गया था। अब दोबारा इस आरक्षण के मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में जब बिहार में आरक्षण बढाने वाला विधेयक पारित हुआ तो सवाल उठा कि यहां सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत वाली तय सीमा का होगा और क्या यह विधेयक भी अन्य की तरह अदालती हो जाएगा। इस पर इलाहबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे कहते हैं, 'बिहार आरक्षण वाला विधेयक को अदालत में चुनौती मिलेगी।'

क्या इसमें जातिगत जनगणना का फायदा मिलेगा ?

बिहार में जातिगत आरक्षण अब 65 प्रतिशत पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 प्रतिशत की सीमा के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आरक्षण में बढ़ोतरी जाति सर्वेक्षण के बाद हुई है।

अध्यक्ष की कलम से

राजनैतिक शुचिता: समता आन्दोलन

साथियों,

हमारा हमेशा से ईमानदार प्रयास रहा है कि हर हाल राजनैतिक निरपेक्षता बरकार रहे। इसीलिए समता आंदोलन की पूरी प्रक्रिया संवैधानिक प्रतिष्ठा के प्रति समर्पण की रही है।

ये अंक आपके हाथ में पहुंचने तक राजस्थान में वोट पड़ चुके हैं। जीत हार का निर्माण सामने आना है। हमारा ये मानना है कि सरकार चाहे इनकी आये या उनकी, हमें तो आगे भी संघर्ष करना ही होगा।

लोकतंत्र में कोई भी संघर्ष छोटा या सरल नहीं होता। इसका कारण ये है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का कभी भी कोई मुद्दा न होता है न हो सकता है। क्योंकि ये विषय सरकार/सरकारों का होता है।

समता आंदोलन एक सहज समन्वय का भाव लेकर चलता रहा है। हमने प्रदेश में रहीं दोनों सरकारों के मुखिया के प्रति न केवल निष्ठा रखी है अपितु उन्हें सम्मानित करने का लिखित आग्रह भी बार बार किया है। ये हमारी राजनैतिक शुचिता के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। हमारी ओर से सारा विरोध संविधान की भावना को लेकर तथ्य परक रहा है। आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। ये शुभ और संतोष की बात है कि सरकारों और पार्टियों ने समता आंदोलन को लेकर कभी भी अन्यथा धारणा नहीं अपनाकर हमारे संघर्ष को परोक्ष सहमति दी है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने विगत कुछ साल में अदालत के सामने समता आंदोलन की याचिकाओं के जवाबदावों में जिस उद्दंड असभ्यता का प्रदर्शन किया है वह सरकारी सभ्यता को अपमानित और लांछित करता है। **जय समता।**

जय समता जय समता

सम्पादकीय

''अधिक मतदान पर टिकी आशा''

भारत माता का मन्दिर यह, समता का संवाद यहॉ
सबका शिव कल्याण यहॉ है, पावें सभी प्रसाद यहॉ।
जाति, धर्म या सम्प्रदाय का,नहीं भेद व्यवधान यहॉ,
सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहॉ।

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई ये पंक्तियॉ भारतीय मनीषा का नवनीत प्रस्तुत करती हैं। जिस देश में परोपकार को सबसे बडा पुण्य माना गया है वहॉ जाति के नाम पर किसी को सताने का प्रश्न ही कहां रहता है। आज भी जीवन में यह भाव सर्वत्र व्याप्त दिखता है कि यदि अनजाने में भी छोटे से छोटा जीव चींटी तक हमारे हाथो मर जाती है तो सी-सी करते मन दुखी हो उठता है, फिर किसी को सताने की तो बात ही कहॉ है।

अब तो साफ तौर पर आभास होने लगा है कि जिस तरह मैकाले ने जानबूझ कर भारत के इतिहास और शिक्षा की ऋणात्मक व्याख्या करवा कर देश को सदियों तक गुलाम बनाये रखने का षडयंत्र रचा ठीक उसी तर्ज पर छद्म विचारकों (स्यूडो इन्टेलेक्युअल्स) ने आजादी के बाद से ही अपनी कुत्सित सोच के चलते जातिवादी जहर को पनपाने का षडयंत्र किया है। संभवत: संविधान सभा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर ने इस घृणित प्रयास को समझ लिया था इसिलिए उन्होंने केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों वो भी मात्र विधायक व सांसदों के लिए केवल दस साल तक आरक्षण की व्यवस्था की थी। संविधान सभा के महान लोगों ने भी इस सच को स्वीकारा था कि भारत का सामान्यजन हमेशा परस्पर विश्वास और आस्था पर जीवन जीता है। किंतु आगे चलकर छद्म विचारकों का षडयंत्र सफल होता गया। इन्सान और इन्सान के बीच जातिवाद की दीवारें उंची और उंची होती चली गई।

यह सचमुच चौंकाने वाला तथ्य है कि जिस आरक्षण व्यवस्था को जातिवाद मिटाने का औजार मानकर बार-बार प्रयोग किया जाता रहा उसी ने जातिवाद को बढाने और स्थायी करने का काम किया है। अब तो यह प्रश्न बार-बार उठने लगा है कि दुनिया के पांच-सात देशों के संविधानों की कॉपी करके उसे अंग्रेजों द्वारा भारत पर थोपे गये''कान्स्टीट्यूशन'' के साथ मिलाकर जो संविधान भारत को मिला है उसमें आमुख और मूल अधिकारों को छोडकर शेष हिस्सा भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं यह विचारणीय है। हाल ही सम्पन्न हुये राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस बडे जनमत ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प प्रकट किया है उसकी भागीदारी बढे और लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत अस्सी से उपर तक जा पहुंचे तो यह साफ हो जायेगा कि देश सचमुच में स्वतंत्र हो गया है तब निश्चित है कि राष्ट्रकवि की उपरोक्त पंक्ति स्वत: मूर्त हो उठेंगी। शुभम।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

उच्चतम न्यायालय ही बचा सकता है लोकतंत्र

न्यायमूर्ति पानाचंद जैन, संरक्षक समता आन्दोलन

चुनाव होने जा रहे है, जनता असमंजस की स्थिति में है। क्या करें, किस पार्टी को अपना मतदान करें? किस उम्मीदवार को अपना आदर्श माने? कौन अपने सपनों का भारत बना सकता है? क्या उसका उम्मीदवार आपराधिक प्रवृति का है? क्या वह सजा भोग रहा है अर्थात जेल में है? वह धर्मान्त तो नहीं है? क्या वह उसके लिए अच्छा कानून बना सकता है? क्या उसकी प्रवृति का रहस्य रिश्वत का मूल मंत्र तो नहीं है? क्या वह जातिवाद का पक्षधर है? क्या वह देश की आजादी के 75 साल बाद भी अपने को पिछडा बतला रहा है, जबकि उच्च पद पर शासन चला रहा है। ऐसे सैकडों प्रश्न बिना किसी उत्तर के उसके सामने खड़े हैं।

इन सारे प्रश्नों के उत्तर वह कहां तलाश करे। वह तो चौराहे पर खडा है, किस ओर कदम बढा कर आगे बढे, उसे पता नही है। आज जनता को थोडा बहुत विश्वास है तो वह न्यायालय पर है और सर्वोच्च न्यायलय के ऊपर उसकी निगाहे है। सर्वोच्च न्यायालय के समझ में आ चुका है, शासन भ्रष्ट है। न्यायपालिका भी अछूती नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपने ऐतिहासिक निर्णयों से जन-जन के विश्वास को बनाये रखा है।

ऐसा विश्वास बना हुआ है, न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केवल विधायिका के क्षेत्र का है, जो संविधान ने दिया है। यदि हम संविधान का विश्लेषण करें, तो हमें कई अनुच्छेदों की सही व्याख्या करनी होगी। अनुच्छेद 141, 142 व 144 की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

अनुच्छेद 141 स्पष्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। निर्णय को देश का कानून माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय यह स्पष्ट करता है, यदि सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा है, तो अधिनियम को उद्देशिका से प्रेरणा लेकर परिवर्तित किया जा सकता है। कानून को अधिकार शून्य घोषित कर, न्यायालय नया कानून ही तो बनाता है।

अनुच्छेद 142 घोषणा करता है इस देश का न्यायालय सम्पूर्ण न्याय के हेतु प्रचलित कानून से भी दूर जाकर, ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 144 सभी सिविल व न्यायिक अधिकारों से यह अपेक्षा करता है कि वे सब न्यायालय के निर्णयों को अंगीकार कर क्रियान्वयन करें। कई निर्णय ऐसे है जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जहां कानूनी व्यवस्था नहीं है अर्थात कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो न्यायालय अपने विवेक से न्याय हेतु निर्देशन दे सकता है, ऐसा निर्णय कानून ही माना जावेगा। सावधानी केवल इतनी ही अपेक्षित है कि न्यायालय का आदेश ऐसा नहीं हो जो संविधान के प्रावधान के विपरीत हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में इसे स्पष्ट किया है कि उसे कानून बनाने का अधिकार है, अन्तर इतना है कि न्यायालय का निर्णय कानून की मान्यता रखता और देश के लिए मान्य है, वह प्रभावकारी है, वहीं विधायिका कानून संसद, विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है और इसकी वैधानिकता को भी सर्वोच्च न्यायालय प्रमाणित करता है यदि अवैधानिकता पाई जाती है तो उसे अल्ट्रावाइरिस अर्थात अवैध घोषित कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलखनाथ, केशवानन्द भारती, मेनका गांधी आदि के केसेज में कहा है कि अनुच्छेद 32, 141, 142 इस प्रकार की भाषा में अभिव्यक्त किये गये है जो लीगल डाक्टरीन को सृजन करने में सहायक है जो वस्तुत: कानून ही है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हॉक्स व लॉर्ड रेड, लॉर्ड डिनिंग ने स्वीकार किया है कि न्यायाधीश भ ी कानून बनाते है।

इन निर्णयों में स्पष्टता के साथ स्वीकार किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार है। इस पुरानी धारना को आज सही नहीं आंका जाता कि न्यायाधीश कानून नहीं बनाते।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव की सुचिता के लिए संसद, विधानसभा के सदस्यों के आचरण की प्रमाणिकता के लिए दो निर्णय दिये हैं। आपराधिक कानून के तहत सजा प्राप्त आरोपी विजयी होने के बाद भी अयोग्य हो जावेगा, वह सांसद नहीं रहेगा, उसे अपील करने से भी कोई राहत नहीं मिलेगी और जेल में रहते हुये व्यक्ति को चुनाव में खडे होने की सक्षमता नहीं होगी। इस प्रकार हमारी संसद, विधानसभा आपराधिक प्रवृति के लोगों से मुक्त हो सकेगी, जिनके लिए आज यह माना जा रहा है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में वे लोग शामिल है, जो अपराधी है। कानून अब उनके लिए ही नहीं जनता की भलाई के लिए बनेगा।

यह अवश्य है, इन निर्णयों को लागू होने से राजनैतिक पार्टियॉ झूठे मुकदमे चला कर किसी प्रतिद्वन्दी को फंसा सकती है, जेल भिजवा सकती है, किन्तु इससे निपटने के लिए कई उपाय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी अपना अभिमत दिया है कि चुनाव सभाओं में धार्मिक प्रचार निषेध है यह एक चुनाव अपराध है।

चुनाव कानून में मत का लाभ लेने के लिए रिश्वत देना अपराध है, प्रलोभन देना अपराध है, एक दुराचरण है और ऐसी कई घटनाएँ पाये जाने पर चुनाव में जीतने के बाद भी उस व्यक्ति का चुनाव निरस्त किया जा सकता है उसे छ: साल के लिए चुनाव लडने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह कानून चुनाव के समय की बात करता है।

प्रश्न यह है कि यदि राजनेतिक पार्टिया मत हासिल करने के लिए गरीबी मिटाने का नारा देकर मत प्राप्त करना चाहती है, तो क्या ये आचरण प्रलोभन नहीं है। कई राज्यों में नकद राशि, लेपटॉप, टीवी और न जाने क्या-क्या वस्तुएँ मतदाता को लुभाने के लिए दी जा रही है यह क्या है? क्या ये प्रलोभन नहीं है? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्य नहीं है? क्या ये प्रलोभन के वितरण, आचरण शुद्धता व सुचिता का मापदण्ड हो सकता है? फिर इस प्रवृति पर रोक क्यों न लगे?

कोई भी बिल, संसद में प्रस्तुत कर उस पर विचार होने के बाद ही पारित किया जाने पर कानून बनता है। जब संसद का सत्र के अतिरिक्त अतिशीघ्र कदम उठाकर कोई अध्यादेश लाना सरकार की दुर्भावना को ही प्रतिलक्षित करता है। अखबारों की पंक्तियॉ स्पष्ट करती रही है, ऐसा मतदाता को लुभाने के हेतु ही हो रहा है। फिर क्यों ना इस प्रवृति को रोका जाए यह प्रश्न है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एम. नागराज एवं अन्य केसेज में स्पष्ट किया है जो व्यक्ति पिछडेपन का लाभ लेते रहे हैं उनके जो व्यक्ति क्रिमिलेयर में आ चुके हैं वे अब पिछड़े नहीं हैं। उन्हें पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव लडने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

इस प्रकार समय आ चुका है सर्वोच्च न्यायालय को अधिक सक्रिय होकर बहुत कुछ करना है। जनता की अपेक्षाएँ, सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों से बढ गई है। यह क्रम चालू रखना ही होगा। नई संसद व विधान सभा में कोई दागी व्यक्ति नहीं जा पावे। सांसद का सदाचारी होना पढा लिखा होना अनिवार्य होना चाहिये, जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दिये हैं उनके प्रति निष्ठा रखने वाला हो। जनतंत्र में न्यायाधीशों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे निर्णयों का खुल कर स्वागत करना चाहिये।

जय गणतंत्र।

पौराणिक कथन: 'उपनिषद्'

कठिन विषय की विशद् व्याख्या करने वाले ईश,केन,कठ, प्रश्न, मुण्डक,माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य,बृहदारण्यक आदि बारह उपनिषद हैं।

जो मन के भय को दूर भगाकर
मौत से जीवन मोल सकेगा।
धरती से आसमान तक
सब दरवाजे खोल सकेगा।।

कविता

चलित-फलित बस एक बहाना

चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना।
लेकिन उनके काले मन को,
दुखी है कभी नहीं पहचाना।
वन उपवन सड़कों पर दौडे,
नंगी पीठों खाये कौड़े,
तब जाकर आजाद हुए हैं-
वो कहते है इसे बहाना।।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।
तेल देखा धार भी देखी,
पढ न पाये भाग्य की लेखी,
समय समुन्दर ऊँची लहरें-
बैठ नाव में दूर है जाना।।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।
ठंडी छाया निर्मल काया,
द्वेष भाव ने खूब रूलाया,
मन के भीतर घाव बड़े पर
कहा बड़ों ने मत बतलाना।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।
कलम लेखनी स्याह सियाही,
हर दिन लगता एक तिमाही
जात पाँत का जंतर-मंतर-
चलित-फलित बस एक बहाना।।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।
ज्यों विषदन्ती जबर नाग है,
भीतर भडकी एक आग है,
समता की ले ध्वजा पताका-
जन मन को फिर से अपमाना।।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।

--कनिष्का शर्मा--

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

आरक्षण की व्यवस्था की एक विडंबना यह रही है कि इससे लोगों में आत्मनिदां की भावना पैदा हुई है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा जाता कि विभिन्न जातियों, वर्गों, समुदायों के सदस्य पिछड़े स्तर का लाभ प्राप्त करने के लिए कतारों में लग जाएं। दुनिया के किसी देश में ऐसा भी नहीं देखा जाता कि लोग यह दावा करते फिरें कि ''हम तुमसे ज्यादा पिछड़े हैं।''

(न्यूनतम) अर्हता परीक्षा उतीर्ण करने के लिए समयावधि बढाते समय सरकार प्रशासन की कुशलता की बात भी ध्यान में रखेगी। प्रशासनिक क्षमता की अनदेखी करके हरिजन कल्याण के नाम पर प्रशासन को कमजोर या अक्षम नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रशासन का कार्य अच्छा और कुशल शासन प्रदान करना है, न कि हरिजनों को नौकरी देना।

क्या अब इस तथ्य का कोई अर्थ नही रहा कि सभी कर्मचारी एक वर्ग के रूप में होते है और एक वर्ग के भीतर भेदभाव नही किया जा सकता ?

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली कारवाई - जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है - से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

समाजशास्त्री जब तक खंडन-मंडनात्मक दृष्टिकोण से दलित बनाम शोषित के इस भ्रम से परदा नहीं हटाते, तब तक लोकतंत्र के प्रति अविश्वास की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी तथा संवैधानिक परिवर्तन अथवा क्रांति तथा समतावादी न्याय की व्यवस्था पुस्तकों में ही सिमटकर रह जाएगी।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण कोई उपयुक्त उपाय नहीं हो सकता। गरीबी ही वस्तुत: सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है। अत: गरीबी ही सबसे पहले दूर करने की आवश्यकता है।

समता आन्दोलन की :: अपील ::

श्री अशोक गहलोत को हराना है, राजस्थान को बचाना है।

सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं,

क्या आप जानते हैं कि आपके विधायक श्रीमान् अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री पद का दुरूपयोग करते हुए:-

1. ओ बी सी आयोग द्वारा वर्ष 2001 में प्रस्तुत ओ बी सी के वर्गीकरण की रिपोर्ट को एक जाति विशेष के दबाव में आकर अविधिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। जिसके कारण पिछले 20 वर्षों में असली ओ बी सी के गरीब-वंचितों को लगभग एक लाख सरकारी नौकरियों का नुकसान हुआ।
2. सुप्रीम कोर्ट की 3-3 संविधान पीठों के निर्णयों को दरकिनार करते हुए अजा-अजजा वर्ग से आज तक क्रीमिलेयर को बाहर नहीं निकाला गया है। जिसके कारण अजा-अजजा वर्ग के असली गरीब,वंचितों को अभी तक भी सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
3. आर्थिक कमजोर वर्ग के पाँच में से चार मानदण्डो को हटाकर सामान्य वर्ग के असली गरीब, वंचितों को EWS के आरक्षण से वस्तुतः वंचित कर दिया है।
4. राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बैंच के निर्णय की पालना नहीं करते हुए मीणा समुदाय को अजजा का आरक्षण लाभ चालू कर रखा है जिसके कारण राज्य के असली गरीब, वंचित अजजा के लाखों लोग आज भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं।
5. राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा दो-दो बार गुर्जर आरक्षण निरस्त करने के बावजूद तीसरी बार इस समुदाय को अविधिक रूप से 5 प्रतिशत आरक्षण दिया है जिसके कारण सामान्य ओबीसी वर्ग को प्रत्येक भर्तियों में 5 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। हमारी याचिकाएँ हाईकोर्ट / सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है।
6. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरूद्ध जाकर एट्रोसिटि एक्ट के अधीन एफआई आर दर्ज होते ही अभियुक्त की गिरफ्तारी अनिवार्य करने के अविधिक आदेश जारी करने वाले एडीजी श्री रवि प्रकाश महरड़ा को संरक्षण दिया है, दण्डित होने से बचाया है। सैकड़ो सामान्य -ओबीसी वर्ग के निरपराध नागरिकों को अविधिक गिरफ्तारी का दंश झेलना पड़ा है। हमारी हाईकोर्ट में याचिका लम्बित है, नोटिस जारी हो चुके हैं।
7. बैकलॉग के नाम पर अविधिक रूप से अजा-अजजा के 1250 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति दी है, सामान्य ओबीसी को नुकसान पहुँचाया है, राज्य को अगले 30-35 वर्षों में 39000 करोड़ का नुकसान होगा। हमारी याचिका हाईकोर्ट में लम्बित है, नोटिस जारी हो चुके हैं।
8. सत्ता में आते ही दिनांक 05/10/2018 की अधिसूचना को वापस ले लिया जिसके कारण राज्य के सामान्य-ओबीसी वर्ग के हजारों निष्ठावान लोकसेवकों को वरिष्ठता पुःन प्राप्ति (रिगेनिंग ऑफसीनियोरिटि) के लाभ से अविधिक रूप से वंचित किया गया। अनेक याचिकाएँ लगानी पड़ी।
9. कांग्रेस घोषणा-पत्र में शामिल पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करके समयबद्ध पदोन्नति व्यवस्था लागू करने के वचन को आज तक पूरा नहीं किया हैं, मतदाताओं के साथ विष्वासघात किया है।
10. राज्य के एडवोकेट जनरल को करोड़ो का भुगतान किया गया है जिसका दुरूपयोग राज्य की जनता को न्याय दिलाने वाली याचिकाओं को अटकाने,लटकाने एवं भटकाने में किया गया है। हमारी आर टी आई आवेदन का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।
11. सत्रह प्रश्न-पत्र लीक करवाकर बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय किया है। जाति के आधार पर आर पीएस सी में भ्रष्ट लोगों को नियुक्ति देकर इस आयोग को पूरे देश में बदनाम किया है। अजा-अजजा और ओ बी सी का आरक्षण कोटा बढ़ाने के अविधिक आश्वासन से इस वर्ग को ठगने का प्रयास किया है। जातिगत जनगणना का शगुफा छोड़कर कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट कारनामों से ध्यान हटाने का प्रयास किया है। तुष्टिकरण की राजनीति से अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन को छिपाये रखने का प्रयास किया है।

उपरोक्तानुसार श्री अशोक गहलोत ने अनगिनत ऐसे जातिवादी, साम्प्रदायिक और भ्रष्ट कारनामें किये गये है जिसके कारण पूरा राजस्थान प्रदेश लगातार लज्जित और अपमानित होता आ रहा है। अतः हमारी प्रार्थना है कि श्री अशोक गहलोत को हरायें और राजस्थान प्रदेश को बचायें। जय समता ,विजय समता।

----निवेदक----

पाराशर नारायण, अध्यक्ष

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

Website: www.samtaandolan.co.in

''सूचना''

समता ज्योति के प्रत्येक सदस्य और पाठक से निवेदन है कि आर्थिक संबल के लिए इसी अंक से शुभता और संवेदना की सूचना शुरू कर रहे हैं।

जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ आदि के लिए सहयोग राशि - रूपये 2000/- दुख, संवेदना के लिए रूपये 500/- प्रति सूचना।

अशोक गहलोत को हराने के लिए समता आन्दोलन का अभियान, 50000 घरों मे गहलोत विरोधी पैम्प्लेट

समता आन्दोलन ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए अशोक गहलोत के प्रमुख जातिवादी, साम्प्रदायिक और भ्रष्ट कारनामो की सूचि एक पैम्प्लेट के रूप मे जारी की है। यह पैम्प्लेट अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के 50000 घरों मे वितरित किये गए हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया है। मतदाताओं से अशोक गहलोत को हराने की स्पष्ट अपील की गई है। पैम्प्लेट का मजमून पाठकों की जानकारी के लिए ऊपर दिया गया है।

समता आन्दोलन समिति की जोधपुर में भी आयोजित हुई संभाग स्तरीय कार्यशाला

जातिगत सर्वेक्षण द्वारा समाज को विखंडित करने की साजिश

जोधपुर। सामाजिक जागृति हेतु समता आन्दोलन समिति का संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन औधोगिक क्षेत्र में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने की जबकि एल.एन.शर्मा, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि थे। शर्मा ने आरक्षणा के इतिहास की अद्यतन जानकारी से बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण गरीबों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। आरक्षण की मलाई सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सिर्फ धनाढय वर्ग के लोग ही चाट रहे है। आरक्षित व पिछड़े वर्गों के वास्तविक गरीबों तक आरक्षण कभी पहुंचा ही नहीं।

राहिणी कमीशन तर्ज पर अजा-अजजा का एक कमीशन बना और आरक्षण की नीति की समीक्षा की जाए। समता आन्दोलन समिति ने आरोप लगाया कि समाज के अगड़े लोग अपने असंख्य बल और दबंगई से पिछड़े या दलित वर्ग में शामिल होने हेतु राजनैतिक दलों पर दवाब बना रहे है। अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि जिस व्यक्ति या संगठन की नीति समाज या देश विरोधी हो जाती है व्यक्ति व संगठन अन्ततोग्तवा रसातल में पहुंच जाता है। उन्होंने कांग्रेस की विभिन्न विघटनकारी नीतियों पर प्रहार करते हुये कहा कि जातिगत आरक्षण को कांग्रेस ने समाज को बांटने के लिए भुनाया है जो निन्दनीय है। आरक्षण वोट पाने की कुनीति बन चुकी है। यहां तक कि भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को भी जातिगत आधार पर बांट दिया।

समता आन्दोलन दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ है। वहीं किसी ने दलित उत्पीड़न कानून का दुरूपयोग किया तो समता आन्दोलन ऐसे पीड़ित पक्ष को अपने खर्च पर ही हर विधिक सहायता देगा। संभागीय अध्यक्ष कैलाश राजपुरोहित ने अशोक गहलोत व कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के जातिगत सर्वेक्षण की योजना की निंदा करते हुये इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाये। उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण को समाज को जातिगत आधार पर विखण्डित करने की योजना बताई। सम्मेलन में सदस्यों ने और जातिगत सर्वेक्षण के दुरूपयोग की भतर्सना की व समाज में सद्भावना हेतु हर वर्ग के योग्य व्यक्तियों को उनकी क्षमता अनुसार संरक्षण देने की अपील की ताकि वे राष्ट्र हित में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके।

:: भावपूर्ण श्रद्धांजलि ::

(स्व. श्री सदाशिव नारायण शर्मा)

जन्म- 17.12.1947 स्वर्गवास- 08.11.2023

परिवार जिसका मन्दिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थे,
परिश्रम जिसका कर्तव्य था,परमार्थ जिसकी भक्ति थी।

:: शोकाकुल :

डॉ. ज्ञानेश्वर नारायण. डॉ.सुदेश, योगेश्वर नारायण . मधु, मज्जु शर्मा -स्व. डॉ हरिओम नारायण, पाराशर नारायण. पल्लवी (छोटे भाई-वधुएं) लक्ष्मण कांता-स्व. रामावतार,रमा धरेन्द्रा- अशोक धरेन्द्रा,वत्सला-मुकुल, कमलेश्वर-रिनी, सर्वेश्वर- दीपांजली, पवित्र-आरती, परमेश्वर-पौला, महेश्वर-वन्दना, सोमेश्वर, हेमाक्ष एवं समस्त वशिष्ठ परिवार।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in